

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, कोल्हापूर.

Right to Information Act
(India)

केंद्रीय माहितीचा अधिकार
अधिनियम २००५ अंतर्गत कलम ४ (१) ब अन्वये

प्रसिद्ध करावयाची १ ते १७ मुद्यांची

माहिती पुस्तका


(सन - २०२३-२०२४)

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा

कलम ४(१) (b) (i)

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा या सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामाचा आणि कर्तव्याचा तपशिल

| | | |
|----|--|---|
| १ | सार्वजनिक प्राधिकरणाचे नाव | जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, कोल्हापूर |
| २ | संपूर्ण पत्ता | जिल्हा परिषद, प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, नागाळा पार्क, कोल्हापूर ४१६००३ |
| ३ | कार्यालय प्रमुख | प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, कोल्हापूर |
| ४ | कोणत्या खात्याच्या अंतर्गत हे कार्यालय आहे. | ग्राम विकास व जल संधारण विभाग, मंत्रालय मुबई. |
| ५ | कामाचा अहवाल कोणत्या कार्यालयाकडे सादर केला जातो. | ग्राम विकास व जल संधारण विभाग, मंत्रालय मुबई. |
| ६ | कार्यकक्षा : भौगोलीक | कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व १२ तालुके |
| ७ | अंगीकृत व्रत (Mission) | दारिद्र्य निर्मुलन कार्यक्रम ग्रामीण विकासाच्या योजना, अर्थिक दुर्बल व मागासवार्गीय कुटुंबांना केंद्र शासकीय, PMAYG, रमाई आवास योजना, PDU, इ.योजनेंचा लाभ देणे. |
| ८ | ध्येय / धोरण (Vision) | दारिद्र्य रेषे खालील कुटुंबांना विविध योजने व्यारे सहाय्य करणे व त्यांना दारिद्र्य रेषेच्या वर आणेसाठी प्रयत्न करणे. शासन निकषानुसार पात्र ठरणा-या ग्रामीण बेघर लाभार्थीना घरकुलाचा लाभ देणे. |
| ९ | प्रत्यक्ष कार्य | नेमुन दिलेल्या कामकाजा प्रमाणे |
| १० | जनतेला देत असलेल्या सेवांचा थोडक्यात तपशिल | दारिद्र्य रेषे खालील कुटुंबांना विविध योजनेव्यारे सहाय्य करणे व त्यांना दारिद्र्य रेषेच्या वर आणेसाठी प्रयत्न करणे. शासन निकषानुसार पात्र ठरणा-या ग्रामीण बेघर लाभार्थीना घरकुलाचा लाभ देणे. |
| ११ | स्थावर मालमत्ता (येथे तुमच्या प्राधिकरणची जमीन, इमारत आणि अन्य स्थावर मालमत्तेचा तपशिल द्यावा.) | जिल्हा परिषद, प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला (इमारत व जागेचा तपशिल) |
| १२ | प्राधिकरणाच्या संरचनेचा तक्ता (वंश वृक्षाच्या तक्ता जसा असतो तसा तक्ता काढून, प्रत्येक पातळीवर कार्यकक्षा व संपर्काच्या पत्त्याशी त्याची जोड घालून दाखवावी.) | सोबत जोडला आहे. |
| १३ | कार्यालयाची वेळ आणि दूरध्वनी क्रमांक (सर्व दुरध्वनी क्रमांक, फॅक्स क्रमांक, ईमेल आणि कार्यालयीन कालानंतर संपर्काचा तातडीचा क्रमांक असले तर तोही क्रमांक द्यावा.) | वेळ स.०९.४५ ते सा.०६.१५, कार्यालयीन दूरध्वनी क्रं.- ०२३१-२६५६३४२, ई.मेल- drdakolhapur@gmail.com |
| १४ | साप्ताहीक सुट्टी आणि विशेष सेवाचा कालावधी. | सार्वजनिक सुट्टी, रविवार व शनिवार वगळून कार्यालयीन कामकाज सकाळी ०९.४५ ते सायं. ०६.१५ पर्यंत |



जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, कोल्हापूर

कलम ४ (१) (b) (ii) नमुना क

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा या सार्वजनिक प्राधिकरणातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या अधिकाराचा तपशील

| अ.क्र. | अधिकार पद | आर्थिक अधिकार | कोणत्या कायद्या / नियम/शासननिर्णय /परिपत्रकानुसार | शेरा |
|--------|--|---|---|------|
| १ | चेरमन कार्यकारी समिती तथा मु.का.अ. जि.प | संपूर्ण अधिकार | शासनाकडील वेळोवेळी प्राप्त होणा-या सूचनानुसार | |
| २ | प्रकल्प संचालक | जि.ग्रा.वि.कडील वेतन व भत्ते संपूर्ण व शासनाकडील वेळोवेळी प्राप्त सूचनानुसार इतर अधिकार | -- " -- | |

| अ.क्र. | अधिकार पद | प्रशासनिक अधिकार | कायदा /नियम /आदेश/राजपत्र | शेरा (असल्यास) |
|--------|--|---|--------------------------------------|--------------------|
| १ | चेरमन कार्यकारी समिती तथा मु.का.अ. जि.प | योजना कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेचे सर्व अधिकार | केंद्र शासनाकडील मार्गदर्शक सुचना | |
| २ | प्रकल्प संचालक | कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापना विषयक बाबीतील अधिकार | -- " -- | |

| अ.क्र. | अधिकार पद | फौजदारी अधिकार | कायदा /नियम /आदेश/राजपत्र | शेरा (असल्यास) |
|--------|-----------|----------------|------------------------------|-------------------|
| निरंक | | | | |

| अ.क्र. | अधिकार पद | अर्धन्यायीक अधिकार | कायदा /नियम /आदेश/राजपत्र | शेरा (असल्यास) |
|--------|-----------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| निरंक | | | | |

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
कलम ४ (१) (b) (ii) नमुना ख

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा या सार्वजनिक प्राधिकरणातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कर्तव्याचा तपशील

| अ.क्र. | अधिकार पद | आर्थिक कर्तव्ये | कायदा /नियम /आदेश/राजपत्र | शेरा (असल्यास) |
|--------|----------------|---|---|-----------------|
| १ | चेरमन | कार्यकारी समितीचे चेअरमन या नात्याने योजना अंमलबजावणी वर नियंत्रण कामांना मंजूरी देणे इ. | केंद्र / राज्य शासनाकडील मार्गदर्शक सुचना | |
| २ | प्रकल्प संचालक | शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार योजनांची अंमल-बजावणी करणे, शासनास या संबंधात अहवाल सादर करणे, खर्चावर नियंत्रण ठेवणे, ताळमेळ घेणे तरतूद उपलब्ध करून घेणे. अधिनस्त वर्ग १ ते ४ अधिकारी/कर्मचारी यं चे वेतन व भत्ते, इतर बीले मंजूर करणे. आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणुन कामकाज पहाणे, शासनाकडून वेळोवेळी प्राप्त होणाऱ्या आदेशांची अंमलबजावणी करणे. | -- " -- | |

| अ.क्र. | अधिकार पद | प्रशासनिक कर्तव्ये | कायदा /नियम /आदेश/राजपत्र | शेरा (असल्यास) |
|--------|-------------------------------------|--|---|-----------------|
| १ | सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (सनियंत्रण) | प्रकल्प संचालक याचे नियंत्रणाखाली योजनांचे कामकाज पहाणे,प्राप्त प्रस्तावांची छाननी योंजना अंतर्गत निर्माण झालेल्या मत्तांची तपासणी करणे. | केंद्र / राज्य शासनाकडील मार्गदर्शक सुचना | |
| २ | सहा.लेखाधिकारी | लेखाविषयक कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे, प्राप्त होणारे देयक छाननी करून खर्ची टाकणे ,लेखा परिक्षण करून घेणे, निधीची उपलब्धता, वितरण , ऑडिट रिपोर्ट व उपयोगीता प्रमाणापत्रे सादर करणे. | -- " -- | |
| ३ | कनिष्ठ अभियंता | योजना कामांचे आराखडे / अंदाजपत्रके तपासणे छाननीनंतर ते मंजूरीसाठी सादर करणे, कामांची गुणवत्ता राखणेसाठी कामांची तपासणी काही प्रमाणात करणे. | -- " -- | |

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
कलम ४(१)(b)(iii)

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, कोल्हापूर या सार्वजनिक प्राधिकरणात कोणत्याही निर्णय घेताना पाळली जाणारी निर्णय प्रक्रियेची आणि त्यावरील देखरेखीची पद्धत आणि सोपविलेले व्यक्तीगत उत्तरदायित्व

कामाचे स्वरूप : ----
 संबंधीत तरतुद : ---
 अधिनियमाचे नाव : ---
 नियम : भारत सरकारच्या ग्रामीण विभाग खात्याच्या मार्गदर्शक सुचना माहे जुन २००३
 शासन निर्णय : ---
 परिपत्रके : ---
 कार्यालयीन आदेश : ---

| अ. क्र. | कामाचे स्वरूप | कालावधी दिवस | कामासाठी जबाबदार अधिकारी | अभिप्राय |
|------------|---------------|--------------|-----------------------------|----------|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |

-- लागू नाही --

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
कलम ४(१) (b)(iv) नमुना क

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, सन २०२३-२४ मधील सर्व सामान्यपणे ठरविलेली भौतिक व आर्थिक उदिष्टे

| अ.क्र | योजना | भौतिक उदिष्ट | आर्थिक उदिष्ट (रु.लाखात) | कालावधी असल्यास | शेरा |
|-------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|
| १ | प्रधानमंत्री आवास योजना | ० | ० | | सन २०२३-२४ चे उदिष्ट अप्राप्त आहे. |
| २ | रमाई आवास योजना | ३४४५ | ४१३४ | १ वर्ष | |
| ३ | शबरी आवास योजना | -- | -- | | उदिष्ट नाही |
| ४ | पारधी आवास योजना | -- | -- | | उदिष्ट नाही |
| ५ | यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना | -- | -- | | उदिष्ट नाही |
| ६ | मोदी आवास | २०१४ | २४१७ | १ वर्ष | |

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
कलम ४ (१) (b)(v) नमुना क

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, कोल्हापूर या सार्वजनिक
प्राधिकरणातील होणाऱ्या कामासंबंधी सर्वसामान्यपणे आखलेले नियम

| अ.क्र. | विषय | संबंधित शासकीय निर्णय कार्यालयीन आदेश / नियम/राजपत्र वगैरेचा क्रमांक व तारीख | शेरा |
|--------|---|--|---------------------------|
| १ | प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) | केंद्र शासनाकडील मार्गदर्शक सुचना व अनुषंगीक स्थायी आदेश संकलने व १ एप्रिल २०१६ च्या मार्गदर्शक सूचना | |
| २ | रमाई आवास घरकुल योजना (राज्य शासनाकडील घरकुल योजना) | राज्य शासनाकडील मार्गदर्शक सुचना व अनुषंगीक स्थायी शासन निर्णय दि. १५/११/२००८ व सुधारित मार्गदर्शक सुचना ३० सप्टेंबर २०१६ | मंजूरी सामाजिक न्यायविभाग |
| ३ | प्रशासन | केंद्र शासनाकडील मार्गदर्शक सुचना व अनुषंगीक स्थायी आदेश संकलने | |
| ४ | ट्रायसेम | केंद्र शासनाकडील मार्गदर्शक सुचना व अनुषंगीक स्थायी आदेश संकलने व ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.ट्रायसेम -१००८/ प्र.क्र.६८/योजना-६ दि. २२/१०/२०१० | |
| ५ | शबरी आवास योजना | आदिवासी विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक- घरकुल-२०१५/प्र.क्र/२१०/का-१७ दिनांक- ५/०१/२०१६ | |
| ६ | पारधी आवास योजना | आदिवासी विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक- घरकुल-२०१६/प्र.क्र./३७/का-१७ दिनांक- २७/०५/२०१६ | |
| ७ | मोदी आवास | इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक- वगृयो-२०२३/प्र.क्र.३३/योजना-५ दि. २८/०७/२०२३ | |

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
कलम-४(१) (b) (vi) नमुना क

सन २०२३-२०२४

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, कोल्हापूर या सार्वजनिक प्राधिकरणात उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांचा तपशिल

| अ.क्र. | विषय | दस्तऐवज / धारिणी नोंदवही या पैकी कोणत्या प्रकारात उपलब्ध | धारिणी क्र. / नोंदवही क्र. | तपशील | किती काळापर्यंत ही माहिती सांभाळून ठेवली जाते. |
|--------|-----------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| १ | अभिलेख वर्गीकरण | अ | ५३९५ | अभिलेख वर्गीकरण नोंदवही नुसार | कायम |
| | | ब | ८९०८ | अभिलेख वर्गीकरण नोंदवही नुसार | ३० वर्ष |
| | | क | ७३२ | अभिलेख वर्गीकरण नोंदवही नुसार | १० वर्ष |
| | | क - १ | - | अभिलेख वर्गीकरण नोंदवही नुसार | ५ वर्ष |
| | | ड | - | - | १ वर्ष |

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा

कलम ४ (१) (b) (vii)

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, कोल्हापूर या सार्वजनिक प्राधिकरणात कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी
किंवा त्याची कार्यालयात अंमलबजावणी करण्यापूर्वी जनतेशी / जनतेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्याबाबत
अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थेचा तपशील

| अ. क्र. | कोणत्या विषयासंबंधी सल्लामसलत | व्यवस्थेची कार्यपद्धती | संबंधित शासकीय निर्णय कार्यालयीन आदेश / राजपत्र वगैरे क्रमांक व तारीखा | पुनर्विलोकन चा काल |
|------------|---|---|--|-----------------------|
| १ | दारिद्र्य निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण विकासाच्या योजना आर्थिक दुर्बल व मागासवर्गीय कुटूंबाना केंद्र शासकीय योजनेचा लाभ देणे / अंमलबजावणी /योजनांचे पर्यवेक्षक व सनियंत्रण करणे. | <ol style="list-style-type: none"> १. जिल्हा विकास समन्वय व संनियत्रण समिती सभा २. नियामक मंडळ सभा ३. कार्यकारी समिती सभा ४. डि.पी.सी इ. समिती च्या सभेच्या माध्यमातून जिल्हायामधील विविध योजना अंमलबजावणी बाबत चर्चा करणेत येते. | <ol style="list-style-type: none"> १. केंद्र शासनाचा आदेश क्र.Q -१३०१६/१/२०१४- VMC दिनांक ३/९/२०१४ २. ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग कडील शासन निर्णय क्र.आयआरडी-१०९५/ प्र.क्र./ १२९३/४५ दि.१२/०४/२००१ ३. ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग कडील शासन निर्णय क्र.आयआरडी-१०९५/ प्र.क्र./ १२९३/४५ दि.८/५/२००१ ४. ग्रामविकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक-जिग्राप्र- २०१४/प्र.क्र.११२/योजना-५ दिनांक- ९ मे २०१६ ५. ग्रामविकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक-जिग्राप्र- २०१४/प्र.क्र.११२/योजना-५ दिनांक- २२ जाने २०१८ | |

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
कलम ४ (१) (b) (viii) नमुना क

| अ.नं. | समिती, मळ वा परिषदेचे नांव | समिती, मंडळ वा परिषदेच्या रचनेचा ढाचा | समिती, मळ वा परिषदेचा उद्देश | समिती, मळ वा परिषदेच्या बैठकीची वारंवारता | त्या बैठकीस उपस्थित राहणेची जनतेस मुभा आहे का ? | त्या बैठकीच इतिवृत्तांत जनतेस पाहण्यास उपलब्ध आहे का ? |
|-------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|
| १ | कार्यकारी समिती | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तथा अध्यक्ष, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा | अध्यक्ष | सर्व प्रकल्पांना निधी मंजूर करणे व अंमल-बजावणी करणे. | किमान महिन्यातून एकदा | - |
| २ | सभा | मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद | सदस्य | | | |
| ३ | | उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, साप्रवि | सदस्य | | | |
| ४ | | उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी,(पंचायत) | सदस्य | | | |
| ५ | | कार्यकारी अभियंता बांधकाम, जिल्हा परिषद | सदस्य | | | |
| ६ | | कार्यकारी अभियंता, सिंचन, जिल्हा परिषद | सदस्य | | | |
| ७ | | जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद | सदस्य | | | |
| ८ | | जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद | सदस्य | | | |
| ९ | | कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद | सदस्य | | | |
| १० | | शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद | सदस्य | | | |
| ११ | | महाव्यवस्थापक, जिल्हा उदयोग केंद्र | सदस्य | | | |
| १२ | | व्यवस्थापक, खादी ग्रामोदयोग बोर्ड | सदस्य | | | |
| १३ | | जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य | | | |
| १४ | | जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी | सदस्य | | | |
| १५ | | जिल्हा माहिती अधिकारी | सदस्य | | | |
| १६ | | प्राचार्य,जिल्हा व्यव.शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी | सदस्य | | | |
| १७ | | जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी | सदस्य | | | |
| १८ | | उपसंचालक, सामाजिक वनिकरण विभाग | सदस्य | | | |
| १९ | | जिल्हा नियोजन अधिकारी | सदस्य | | | |
| २० | | जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी | सदस्य | | | |
| २१ | | वरिष्ठ भू वैशानिक जिल्हा भूजल विव. स.यं. | सदस्य | | | |
| २२ | | जिल्हा सेवायोजन अधिकारी | सदस्य | | | |
| २३ | | जिल्हा मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी | सदस्य | | | |
| २४ | | अग्रणी बँक अधिकारी | सदस्य | | | |
| २५ | | जिल्हा स्तरीय नाबांडचा प्रतिनिधी | सदस्य | | | |
| २६ | | जिल्हायातील सर्व गट विकास अधिकारी | सदस्य | | | |
| २७ | | प्रकल्प संचालक,जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा | सदस्य | | | |
| | | या व्यतिरिक्त या समितीमध्ये दारिद्र्य निर्मूलन योजनेचे नियोजन व अंमलबजावणी यांच्याशी संबंधित असलेला व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना आवश्यक वाटेल असा अधिकारी यांचा समावेश राहील. | सचिव | | | |

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
कलम ४ (१) (b) (viii) नमुना क
जि.ग्रा.वि.य कोल्हापूर या सार्वजनिक प्राधिकरणातील समित्या, परिषदा, अथवा मंडळाच्या बैठकीचे तपशील
नियामक मंडळ सभा

| अ.नं. | समिती, मंडळ वा परिषदेचे नाव | समिती, मंडळ वा परिषदेच्या रचनेचा ढाचा | समिती, मंडळ वा परिषदेच्या उद्देश | समिती, मंडळ वा परिषदेच्या बैठकीची वारंवारता | त्या बैठकीस उपस्थित राहणेची जनतेस मुभा आहे का ? | त्या बैठकीचा इतिवृत्तं तत जनतेस पाहण्यास उपलब्ध आहे का ? |
|-------|--------------------------------------|---|---|--|---|---|
| १ | नियामक मंडळ | अध्यक्ष, जिल्हा परिषद | अध्यक्ष | धोरणा- त्मक मार्गदर्शन व वार्षिक आरा- | तिमाही- तून एकदा | जन- सामान्यांचे प्रतिनिधी |
| २ | | जिल्हयातील सर्व खासदार व आमदार | सदस्य | खड्याला | | कार्या- लयात |
| ३ | सभा | १/३ पंचायत समितीचे सभापती (एक वर्षाच्या कालावधीसाठी, आद्याक्षर क्रमानुसार चक्रक्रमाने) यापैकी एक सदस्य अनु.जाती/ अनु.जमातीचे व एक महिला सदस्य असणे आवश्यक राहील. | सदस्य | मान्यता देणे, त्यांच्या अंमल- बजावणी बाबत आढावा घेणे व संनियंत्रण करणे. | | प्रतिनिधीत्व करतात |
| ४ | | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद | सदस्य | | | |
| ५ | | अध्यक्ष, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक | सदस्य | | | |
| ६ | | अध्यक्ष, क्षेत्रीय ग्रामीण बँक | सदस्य | | | |
| ७ | | जिल्हा लिड बँकेचा अधिकारी | सदस्य | | | |
| ८ | | भारतीय रिझर्व बँकेचा जिल्हा पातळीवरील प्रतिनिधी. | सदस्य | | | |
| ९ | | नाबांडचा जिल्हा पातळीवरील प्रतिनिधी | सदस्य | | | |
| १० | | महाव्यवस्थापक, जिल्हा उदयोग केंद्र | सदस्य | | | |
| ११ | | खादी व ग्रामोदयोग मंडळाचा प्रतिनिधी | सदस्य | | | |
| १२ | | प्रकल्प संचालक, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प | सदस्य | | | |
| १३ | | जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी | सदस्य | | | |
| १४ | | जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी | सदस्य | | | |
| १५ | | तांत्रिक संस्थांचा एक प्रतिनिधी | सदस्य | | | |
| १६ | | स्वयंसेवी संस्थांचे दोन प्रतिनिधी | सदस्य | | | |
| १७ | | दारिद्र्य रेखेखालील जनतेचे दोन प्रतिनिधी यापैकी एक अनुसूचित जातीचा किंवा अनुसूचित जमातीचा असावा. | सदस्य | | | |
| १८ | | ग्रामीण महिलांची एक प्रतिनिधी | सदस्य | | | |
| १९ | | प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा | सदस्य सचिव | | | |

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
कलम ४ (१) (b) (viii) नमुना क
जिल्हास्तरीय दक्षता व संनियंत्रण समिती सभा

| अ.नं. | समिती, मंडळ वा परिषदेचे नांव | समिती, मंडळ वा परिषदेच्या रचनेचा दाचा | समिती, मंडळ वा परिषदेचा उद्देश | समिती, मंडळ वा परिषदेच्या बैठकीची वारंवारता | त्या बैठकीस उपस्थित राहणेची जनतेस मुभा आहे का ? | त्या बैठकीचा इतिवृत्तांत जनतेस पाण्या-साठी उपलब्ध आहे का ? | या बैठकीचा इतिवृत्तांत कोणाकडे उपलब्ध असतो ? |
|-------|---------------------------------------|---|---|---|--|---|--|
| १ | जिल्हा विकास | संबंधित जिल्ह्याचे लोकसभेत प्रतिनिधीत्व करणारे वरिष्ठ संसद सदस्य | अध्यक्ष | केंद्र | तिमाही-तून | जन- | कार्या- |
| २ | समन्वय व संनियंत्रण | अध्यक्षां व्यतिरिक्त जिल्ह्यातील सर्व संसद सदस्य (लोकसभा) | सह.अध्यक्ष | पुरस्कृत कार्यक्रमा च्या अंमल-बजावणीवर संनियंत्रण ठेवण्याचे काम अधिक परिणाम कारक रित्या करणे. केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयातर्फे राबविल्या जाणा-या सर्व योजनांचे पर्यवेक्षण व संनियंत्रण करणे. | एकदा | सामान्यांचे प्रतिनिधी प्रतिनिधी त्व करतात. | लयात उपलब्ध आहे |
| ३ | समिती सभा | राज्यसभेमध्ये राज्याचे प्रतिनिधीत्व करणारे व या सदस्य समितीत सदस्य होण्यास इच्छुक असलेले सदस्य (प्रथम येणा-यांस प्राधान्य या तत्वानुसार) केंद्रिय ग्रामीण विकास मंत्रालय यांनी नियुक्त केलेले सदस्य | सह.अध्यक्ष | | | | |
| ४ | | जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा सदस्य | सदस्य | | | | |
| ५ | | राज्यशासनाचा प्रतिनिधी | सदस्य | | | | |
| ६ | | अध्यक्ष जिल्हा परिषद | सदस्य | | | | |
| ७ | | जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीचे सभापती | सदस्य | | | | |
| ८ | | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद | सदस्य | | | | |
| ९ | | प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा | सदस्य | | | | |
| १० | | समितीच्या अध्यक्षांनी समितीतील इतर संसद सदस्यांच्या विचार विनिमयाने नामनिर्देशीत केलेले एका नामवंत स्वयंसेवी संस्थेचा एक प्रतिनिधी | सदस्य | | | | |
| ११ | | जिल्हाधिकारी यांनी नामनिर्देशित केलेले समाज-कार्य, समाजशास्त्र या क्षेत्रातील एक तज्ज्ञ व्यक्ती. | सदस्य | | | | |
| १२ | | समितीच्या अध्यक्षांनी इतर संसद सदस्यांशी केलेल्या विचार विनीमयानुसार नामनिर्देशित केलेले अनु.जाती/ अनु.जमाती व महिला यांचे प्रत्येकी एक प्रतिनिधी | सदस्य | | | | |
| १३ | | जिल्ह्यातील अग्रणी बँक | सदस्य | | | | |
| १४ | | वरिष्ठ अधिकारी / अधिकारक, पोष्ट विभाग | सदस्य | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|---------------|--|--|--|
| १५ | | जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी | सदस्य | | | |
| १६ | | जिल्हाधिकारी | सदस्य सचिव | | | |
| | | <p>विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांचे कार्यालय प्रमुख (उदा. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाणी पुरवठा, पाटबंधारे, वने, कृषि इ.) समितीस सहकार्य करतील.</p> <p>अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपस्थित असलेले सहअध्यक्ष सर्व संमतीने बैठकीकरीता एका सहअध्यक्षांची अध्यक्ष म्हणून निवड करतील.</p> | | | | |

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
कलम (४) (१) (b) (x)

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा या सार्वजनिक प्राधिकरणातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे पगार व भत्ते

माहे जुलै २०२४

| अ. क्र. | अधिका-यांचे नाव | हुद्दा | मूळ पगार | ग्रेड वेतन | महागाई भत्ता ५० % | घरभाडे भत्ता १८% | विशेष जाहर प्रवासभत्ता १४ % अंशदान | एकूण रवकम |
|---------|-----------------------------|---------------------------------|----------|------------|-------------------|------------------|------------------------------------|-----------|
| १ | सुषमा यशवंतराव देसाई | प्रकल्प संचालक | ११२४०० | ० | ५६२०० | २०२३२ | ५५२० | १९४३५२ |
| २ | राजाराम गणपतराव लांबोरे | सहा.प्रकल्प अधिकारी (सनियंत्रण) | ७१२०० | ० | ३५६०० | १२८१६ | १४७० | १२१०८६ |
| ३ | श्री.उमेश दामोदर चव्हाण | विस्तार अधिकारी (सार्विकी) | ५०४०० | ० | २५२०० | ९०७२ | १२०५४ | १६७२३ |
| ४ | श्री.सुधीर महादेव सांगावकर | सहा.लेखाधिकारी | ६४००० | ० | ३२००० | ११५२० | १४७० | १०८९९० |
| ५ | श्रीम.सुवर्णा मारुती सानप | अधीक्षक | ५३५०० | ० | २६७५० | ९६३० | १४७० | ९९३५० |
| ६ | श्री.प्रशांत पांडुरंग पाटील | वरिष्ठ सहाय्यक | ४९००० | ० | २४५०० | ८८२० | १४७० | ८३७९० |
| ७ | श्रीम.माया मोहन सुर्वे | कनिष्ठ अभियंता | ४४८०० | ० | २२४०० | ८०६४ | १२२२८ | ८७४९२ |
| ८ | श्रीम.रंजना रमेश हिरुगडे | कनिष्ठ सहाय्यक | ४२२०० | ० | २११०० | ७५९६ | १४७० | ७२३६६ |

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा

कलम ४ (१) (b) (ix)

**जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, कोल्हापूर या सार्वजनिक प्राधिकरणातील अधिकारी व कर्मचारी याची यादी
माहे जुलै २०२४**

| अ.नं. | अधिकारी / कर्मचारी यांचे नांव | हूदा | वर्ग | नोकरीवर रुजूऱ्याचा दिनांक | संपर्कसाठी दुरध्यनी / ई-मेल |
|-------|-------------------------------|----------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------|
| १ | सुषमा यशवंतराव देसाई | प्रकल्प संचालक | वर्ग-१ | २९/०४/१९९८ | २६५६३४२ |
| २ | राजाराम गणपतराव लांबोरे | सहा.प्रकल्प अधिकारी (स.नि) | वर्ग-२ | ०१/०७/१९९९ | २६५६३४२ |
| ३ | उमेश दामोदर चव्हाण | विस्तार अधिकारी (सां) | वर्ग -३ | १५/०७/२०१३ | २६५६३४२ |
| ४ | सुधिर महादेव सांगावकर | सहा.लेखाधिकारी | वर्ग -३ | ०६/१२/१९९९ | २६५६३४२ |
| ५ | सुवर्णा मारुती सानप | अधीक्षक | वर्ग -३ | २६/०२/२००४ | २६५६३४२ |
| ६ | प्रशांत पांडुरंग पाटील | वरिष्ठ सहायक | वर्ग -३ | २२/०९/१९९७ | २६५६३४२ |
| ७ | श्रीम.माया मोहन सुर्वे | कनिष्ठ अभियंता | वर्ग -३ | ०१/०९/२०१२ | २६५६३४२ |
| ८ | श्रीम.रंजना रमेश हिरुगडे | कनिष्ठ सहायक | वर्ग -३ | ०५/११/१९८५ | २६५६३४२ |

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
कलम ४ (१) (b) (xi) क

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, कोल्हापूर या सार्वजनिक प्राधिकरणासाठी
दि १ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ चा कालावधी मंजूर झालेल्या रक्कमेचा तपशिल

| अ. क्र. | अंदाजपत्रकीय शिर्ष | मंजूर रक्कम रु.लाखात | नियोजीत वापर (येथे क्षेत्रनुसार व कांमानुसार स्वतंत्र पानावर माहिती भरावी.) | शेरा |
|---------|-----------------------------------|-------------------------|---|--------------------------------------|
| १ | प्रधानमंत्री आवास योजना | - | - | सन २०२३-२४ मध्ये उदिदष्ट अप्राप्त |
| २ | रमाई आवास योजना | ४१३४ | - | |
| ३ | शबरी आवास योजना | -- | - | उदिदष्ट नाही |
| ४ | यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना | -- | - | उदिदष्ट नाही |
| ५ | मोदी आवास | २४१७ | - | |

कलम ४ (१) (b) (xi) ख

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, कोल्हापूर येथील या सार्वजनिक प्राधिकरणासाठी
दि १ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ चा कालावधी मंजूर झालेल्या आणि खर्च झालेल्या रक्कमेचा तपशील

| अ.क्र. | अंदाजपत्रकीय शिर्ष | मंजूर रक्कम रु.लाखात | उपलब्ध निधी | वापरलेली रक्कम | न वापरल्यामुळे परत करावी लागणारी रक्कम | परिणाम |
|--------|---|----------------------------|----------------|-------------------|--|--------------|
| १ | प्रधानमंत्री आवास योजना | ० | AFMS | ० | AFMS | -- |
| २ | रमाई आवास योजना | ४१३४ | PFMS | ४१३४ | PFMS | -- |
| ३ | शबरी आवास योजना | ० | - | ० | -- | उदिदष्ट नाही |
| ४ | यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना | ० | - | ० | -- | उदिदष्ट नाही |
| ५ | मोदी आवास | २४१७ | PFMS | २४१७ | PFMS | |

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
कलम ४ (१) (b) (xii) नमुना क

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, कोल्हापूर
येथील या सार्वजनिक प्राधिकरणातील अनुदान वाटप कार्यकमातील लाभार्थीचा तपशील
योजनेचे नांव - प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
वर्ष - १/४/२०२३ ते ३१/३/२०२४

| अ.क्र. | तालूका | लाभार्थी संख्या | दिलेल्या अनुदानाची रक्कम / दिलेल्या सबलतीची रक्कम |
|--------|------------|-----------------|---|
| १ | आजरा | ० | |
| २ | गगनबाबडा | ० | |
| ३ | भुदरगड | ० | |
| ४ | चंदगड | ० | |
| ५ | गडहिंगलज | ० | |
| ६ | हातकणांगले | ० | |
| ७ | कागळ | ० | |
| ८ | करवीर | ० | |
| ९ | पन्हाळा | ० | |
| १० | राधानगरी | ० | |
| ११ | शाहूवाडी | ० | |
| १२ | शिरोळ | ० | |
| | एकूण | ० | |

उदिदष्ट नसलेने AFMS मधुन Online द्वारा
अनुदान आदा नाही

उदिदष्ट नसलेने लाभार्थी यादी नाही.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा विभाग

कलम ४ (१) (ब) नमुना (xiii)

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, कोल्हापूर

या सार्वजनिक प्राधिकरणातून कोणतीही सवलत, परवाना अथवा अधिकारपत्र मिळालेल्या
लाभार्थीचा तपशील

परवाना / परवानगी / सवलत यांचा प्रकार :

परवाना देणारी अधिकारी व्यक्ती :

| अ.क्र. | परवानाधारकाचे नाव | परवाना क्रमांक | परवाना दिल्याची तारीख | किती काळासाठी वैध | सर्व सामान्य अटी | परवान्याचा तपशील |
|-------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|
| -- निरंक -- | | | | | | |

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा

कलम ४ (१) (b) (xiv)

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, कोल्हापूर या सार्वजनिक प्राधिकरणात इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात उपलब्ध असलेली माहिती

| अ.क्र. | दस्तऐवज /धारिणी /नोंदवही प्रकार | विषय | कोणत्या प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात माहिती साठविलेली आहे. | ही माहिती ताब्यात असलेल्या व्यक्तीचे नांव |
|--------|---|--|--|---|
| १ | कार्यालयीन आस्थापना | आस्थापना विषयक | इतर (संगणकीय माहिती) | प्रशांत पाटील |
| २ | विशेष प्रकल्प | आस्थापना विषयक , ट्रायसेम योजना, इतर अभियाने , वाहन शाखा , भांडार | इतर (संगणकीय माहिती) | प्रशांत पाटील श्रीम.रंजना हिरुगडे राजेंद्र कवडे, चंद्रकांत पाटील, उमेश चव्हाण, माया सुर्वे |
| ३ | मासिक प्रगती अहवाल योजना विषयक कामकाज लाभार्थी यादी | प्रधानमंत्री आवास योजना, राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना , रमाई आवास, शबरी आवास, पारधी आवास, पी.डी.यु., यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत | इतर (संगणकीय माहिती) | उमेश चव्हाण, माया सुर्वे, प्रोग्रामर व ऑपरेटर |
| ४ | सभा कामकाज | सभा कामकाज | इतर (संगणकीय माहिती) | श्रीम.रंजना हिरुगडे |

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा

कलम ४ (१) (b) (xv)

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, कोल्हापूर

या सार्वजनिक प्राधिकरणात उपलब्ध असलेली माहीती नागरिकांना पुरविण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या
सुविधा

सुविधांचा प्रकार -

- १) जनतेसाठी राखून ठेवलेल्या भेटीच्या वेळेसंबंधीची माहीती - सकाळी ०९.४५ ते सायं. ०६.१५
 २) परस्परसंवादी संकेतस्थळाची (इंटरकटीव वेबसाईट) माहीती - www.zpkolhapur.gov.in
 ३) कॉल सेंटरची माहीती --
 ४) अभिलेख तपासणीसाठी उपलब्ध सुविधांची माहीती - स्वतंत्र अभिलेख कक्ष आहे.
 ५) कामाच्या तपासणीच्या संदर्भात उपलब्ध सुविधांची माहीती --
 ६) नमुने मिळवण्याच्या संदर्भात उपलब्ध सुविधांची माहीती --
 ७) सुचना फलकाची माहीती - सुचना फलक कार्यालयात लावले आहेत.
 ८) ग्रंथालयाची माहीती - प्रवेश द्वारालगत कक्ष आहे.
 ९) चौकशी कक्षाची / खिडकीची अथवा स्वागत कक्षाची माहीती - प्रवेशद्वारात स्वागत कक्ष आहे.
 मिळण्याची सुविधा
 १०) कार्यालयीन काळानंतर संपर्काची सुविधा असल्यास त्याची माहीती - ---
 ११) आपतकालीन संपर्काची माहीती - ---

| अ.क्र. | उपलब्ध सुविधा | वेळ | कार्यपद्धती | स्थान | जबाबदार व्यक्ती |
|--------|---|---------------|--|--------------------------------------|-----------------|
| १ | जनतेसाठी राखून ठेवलेल्या भेटीच्या वेळेसंबंधी माहीती | ०९.४५ ते ६.१५ | कार्यालयीन दिवस आठवड्याचे सोमवार व शुक्रवार या दिवशी | जि.ग्रा.वि.य.कार्यालय | प्रकल्प संचालक |
| २ | अभिलेख तपासणीसाठी उपलब्ध सुविधांची माहीती | ०९.४५ ते ६.१५ | स्वतंत्र अभिलेख कक्षाची उभारणी कार्यालयीन दिवशी सर्व कार्यालयीन दिवस जि.प.एकत्रित अभिलेख कक्ष आहे. | जि.ग्रा.वि.य.कार्यालय, अभिलेख कक्ष | |
| ३ | ग्रंथालयाची माहीती | ०९.४५ ते ६.१५ | --- | --- | |
| ४ | चौकशी कक्षाची / खिडकीची अथवा स्वागत कक्षाची माहीती | ०९.४५ ते ६.१५ | सर्व कार्यालयीन दिवस जि.प.एकत्रित माहीतीकक्ष आहे. | जिल्हा परिषद प्रशासकीय इमारत तळ मजला | |

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा

कलम ४(१) (b)(xvi)

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा या सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील माहिती संदर्भात माहिती अधिकारी , सहाय्यक माहिती अधिकारी आणि अपिलीय प्राधिकारी यांची तपशिलवार माहिती
क

जन माहिती अधिकारी

| अ.क्र. | माहिती अधिकारा-याचे नाव | अधिकार पद | कार्यक्षेत्र | संपूर्ण पत्ता / दुरध्वनी क्रमांक | ई-मेल आयडी (या कायद्या-पुरताच) | अपिलीय प्राधिकारी |
|--------|-------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--|
| १ | राजाराम गणपतराव लांबोरे | सहा. प्रकल्प अधिकारी (सनियत्रंण) जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, कोल्हापूर | कोल्हापूर | जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा ,जिल्हा परिषद इमारत ३ रा मजला , नागळा पार्क , कोल्हापूर ४१६ ००३ | २६५६३४२ | drdakolhapur@gmail.com प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा , कोल्हापूर |

सहाय्यक जन माहिती अधिकारी

ख

| अ.क्र. | सहाय्यक माहिती अधिकारा-याचे नाव | अधिकार पद | कार्यक्षेत्र | संपूर्ण पत्ता / दुरध्वनी क्रमांक | ई-मेल आयडी (या कायद्या-पुरताच) | |
|--------|---------------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|------------------------|
| १ | सुवर्णा मारुती सानप | अधीक्षक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, कोल्हापूर | कोल्हापूर | जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा , जिल्हा परिषद इमारत ३ रा मजला, नागळा पार्क, कोल्हापूर ४१६ ००३ | २६५६३४२ | drdakolhapur@gmail.com |

अपिलीय प्राधिकारी

ग

| अ.क्र. | अपिलीय प्राधिकारा-याचे नाव | अधिकार पद | कार्यक्षेत्र | संपूर्ण पत्ता / दुरध्वनी क्रमांक | ई-मेल आयडी (या कायद्या-पुरताच) | यांचा अधिनस्त शासकीय माहिती अधिकारी |
|--------|----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| १ | सुषमा यशवंतराव देसाई | प्रकल्प संचालक, जि.ग्रा.वि.यं. कोल्हापूर | कोल्हापूर | जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा ,जिल्हा परिषद इमारत ३ रा मजला, नागळा पार्क, कोल्हापूर ४१६ ००३ | २६५६३४२ | drdakolhapur@gmail.com |

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
तक्ता क्रमांक १७ - इतर माहिती

कलम ४ (१) (b) C

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा या सार्वजनिक प्राधिकरणामध्ये जनतेच्या जिव्हाळयाचे नित्य नियमित निर्णय आणि काही महत्वाचे धोरणात्मक निर्णय

| अ.क्र | योजना | घेतलेला निर्णय |
|-------|------------|-------------------------------|
| १ | आवास योजना | धोरणात्मक निर्णय - लागू नाही. |

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
कलम ४(१) (d)

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा या सार्वजनिक प्राधिकरणामध्ये घेतले जाणारे काही महत्वाचे प्रशासकीय आणि अर्धन्यायीक निर्णय

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कोल्हापूर या विभागास हे कलम लागू नाही.

प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र देणेत येते की, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, कोल्हापूर कडील माहितीचा अधिकारी
अधिनियम २००५ अंतर्गत कलम ४(१) ब, अन्वये प्रसिद्ध करावयाची १ ते १७ मुद्यांची सन २०२३ - २०२४ व
आज रोजीच्या सद्यस्थितीची पुस्तिका मधील तयार केलेली माहिती मी तपासली असून ती बरोबर आहे.


(सुवर्णा मारुती साने)
सहाय्यक जन माहिती अधिकारी तथा
अधीक्षक,
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा,
कोल्हापूर


(राजाराम गणयदराव लांबोरे)
जन माहिती अधिकारी तथा
सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी
(सनियंत्रण)
जिल्हा ग्रामीण विकास अधिकारी,
कोल्हापूर.